Regarding crime against Women and Children

श्री विनायक भाऊराव राऊत **(**रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग**):** सभापति जी, मैं शून्य काल में देश के अंदर बढ़ते हुए अपराधों के बारे में बोलना चाहता हूं।

माननीय सभापति **:** आपका विषय इंस्टालेशन ऑफ ए स्टेच्यू के बारे में था।

श्री विनायक भाऊराव राऊत **:** महोदय, आप यह देखिए, मैंने विषय बदलने की रिक्वेस्ट दे दी थी।

माननीय सभापति **:** यहां से दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन ठीक है। आप बोलिए।

श्री विनायक भाऊराव राऊत **:** महोदय, मैंने 11 बजे विषय बदलने की रिक्वेस्ट दे दी थी।

महोदय, मैं आपके माध्यम से देश में बढ़ती हुई गुनाहगारी के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत करना चाहता हूं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की बढ़ती दर को सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। जैसा कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो, एनसीआरबी की नवीनतम ?भारत में अपराध रिपोर्ट, 2022? पेश हुई है, उसके माध्यम से जिस तरह से अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, उसमें सौभाग्य से पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष ओवरऑल गुनाहगारी में कमी हुई है, लेकिन दुर्भाग्य से महिलाओं और बच्चों के प्रति जो गुनाहगारी बढ़ी है, वह भारी चिंता की बात है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में 428278 मामले सामने आए, लेकिन पिछले वर्ष महिलाओं के खिलाफ मामलों की संख्या बहुत कम थी। महिलाओं के खिलाफ मामलों में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं का अपहरण, शील भंग करने के इरादे से हमला और बलात्कार की घटनाएं ज्यादा होती हैं। महिलाओं के प्रति अपराध में जिन राज्यों में ज्यादा अपराध हो रहे हैं, उनमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा हैं।

इन पाँच राज्यों में महिलाओं और बालकों के ऊपर ज्यादा अत्याचार हो चुके हैं।

सभापति महोदय, वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में अत्याचारों में करीब 9 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। इनमें अधिकांश मामले, 45 प्रतिशत से ज्यादा अपहरण के मामले हैं। यौन अपराध के मामले 39 प्रतिशत हो चुके हैं। इसी तरह से, अगर देखें तो पूरे देश में महिलाओं और यौन अपराध से पीड़ित बच्चे-बच्चियों के मामले में इनके साथ बलात्कार की दुर्घटनाएं भारी संख्या में हो रही हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से विनती करना चाहता हूं कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की यह बढ़ती दर हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आकांक्षाओं और उनके कल्याण की संभावनाओं को सीमित करती है। इसलिए, मैं गृह मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए संबंधित राज्य सरकार के साथ मिलकर एक विशेष टास्क फोर्स का निर्माण करें और संबंधित पुलिस तन्त्र को ज्यादा एलर्ट करें।